

ड्यूटी को ड्यूटी समझें। कोतवाल ने अधीनस्थों से कहा कि शिकायतकर्ता की समस्या को गंभीरता से लेकर उसे संतुष्ट किया जाए। रात्रि गश्त के दौरान सिद्धिधों व आपराधिक किस्म लोगों पर भी नजर रखी जाए। (शेष पृष्ठ सात पर)

उत्तराखंड में कौशल विकास के तहत टाटा कम्पनी आईटीआई संस्थानों में देगी ट्रेनिंग

राज्य कैबिनेटकी बैठक में 30 मुद्दों पर हुई चर्चा

देहरादून(उद ब्यूरो)। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगायी गई है। बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव एसएस संधू ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट में 30 मुद्दों पर चर्चा हुई। ऊर्जा विभाग में 2008 में केंद्र सरकार के द्वारा जल विद्युत नीति लायी गयी थी। उसे आज तक लागू नहीं किया गया था जिसे आज कैबिनेट बैठक में लागू किया गया। इसमें 12 प्रतिशत बिजली की बजाय अब 13 प्रतिशत बिजली जल विद्युत परियोजनाओं से 1% जो अतिरिक्त बिजली सरकार को मिलेगी उस पैसे को जल विद्युत परियोजना से प्रभावित लोगों को दिया जाएगा। वित्त विभाग में कई अधिकारियों के अधिकार को बढ़ाया गया है। मसूरी क्षेत्र को पूरी एक तहसील बनाये जाने की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत नई



नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में एडमिशन के लिए एक अप्रैल को छह वर्ष होने पर मुहर लगी है। लघु सिंचाई विभाग की सेवा नियमावली में बदलाव

मिल गई है। 8700 ग्रेड पे केदो पद स्वीकृत हुए हैं। कैबिनेट ने 13 पीपीएस पदों को मंजूरी दे दी है। पशुपालन विभाग के तहत वेटरनरी कर्मियों को पहाड़ में सेवा देने के लिए कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रति कृत्रिम गर्भाधान पर राशि बढ़ाई गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड में होने वाली राष्ट्रीय खेलों के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है। कैबिनेट ने एमएसएमई विभाग की नई पॉलिसी में बदलाव किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में सब्सिडी बढ़ाई गई है। मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पहाड़ में सब्सिडी ज्यादा रखी गई है। अब प्रदेश में कौशल विकास के तहत टाटा कम्पनी आईटीआई

संस्थानों में ट्रेनिंग देगी। इसके साथ ही मॉडल आईटीआई के रूप में आईटीआई संस्थान विकसित होंगे। टाटा ग्रुप सरकार के साथ मिलकर आईटीआई संस्थान चलाएगा। चौरासी कुटिया स्वर्गाश्रम का एचसीपी कंपनी फॉररेस्ट विभाग के साथ मिलकर विकास करेगी। कैबिनेट ने उत्तराखंड में ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। हरिद्वार और ऋषिकेश शहरों को मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगा। छह महीने में इसकी डीपीआर तैयार कर ली जाएगी। कैबिनेट ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दे दी है। उच्च शिक्षा विभाग के तहत छात्र वृत्ति योजना में संशोधन किया गया है। अब फैकल्टी के मुताबिक 10% छात्रों को ही छात्रवृत्ति मिलेगी। प्रदेश में सभी धर्मों के लिए विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये फैसला लिया है।

सीएयू में धांधलियों पर हाईकोर्ट के तेवर तल्ख अनियमितताओं को लेकर सरकार से मांगा जवाब

देहरादून(उद संवाददाता)। नैनीताल हाईकोर्ट ने क्रिकेट एसोसिएशन आफ उत्तराखंड (सीएयू) में अनियमितताओं को लेकर सरकार से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सीएयू में नेताओं और बिजनेसमैन का दखल है। हाइकोर्ट ने राज्य के खेल सचिव ने सीएयू की अनिमितताओं को लेकर जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई 17 अगस्त होगी। हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी ने दाखिल की है।हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाध ीश जस्टिस विपिन सांघवी और जस्टिस राकेश थपलियाल ने सीएयू को लेकर दायर जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है। डबल बेंच ने इस संबंध में राज्य के खेल सचिव से जवाब मांगा है। मामले की पैरवी करने वाले एडवोकेट ललित सौड का कहना है कि अदालत ने माना कि सीएयू में सब कुछ ठीक नहीं है। अनियमितताएं हैं और इसमें कई राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों का दखल है। उन्होंने कहा कि याचिका में कहा गया है कि सीएयू को बीसीसीआई से मान्यता मिलने के बाद से ही यहां बहुत सी वित्तीय और अन्य अनियमितताएं हुई हैं। भुगतान के साथ ही खिलाड़ियों के चयन में भी गोलमोल है। सीएयू के पदाधिकारियों पर पैसे लेकर टीम में स्थान देने के आरोप और केंस हैं। एडवोकेट नलिन के अनुसार जनहित याचिका में प्रार्थना की गयी है कि देश के किन्हीं तीन पूर्व जजों की समिति से इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए। कॉफिलिक्ट आफ इंटेरेस्ट वाले पदाधिकारियों को हटाया जाए और उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। यह भी प्रार्थना की गयी है कि सोसायटी रजिस्ट्रार की इस पूरे मामले में संदिग्ध भूमिका रही है। ऐसे में रजिस्ट्रार के ऊपर प्रशासक बिठाया जाए। आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी का कहना है कि जब पिछले चार साल में पूरे प्रदेश में एक भी पिच नहीं बनी और न ही स्टेडियम तो सीएयू ने बीसीसीआई से मिले लगभग 50 करोड़ रुपये कहां खर्च किये? सीएयू के पदाधिकारी भ्रष्टाचार में आकंट डूबे हैं उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट से प्रदेश के खिलाड़ियों को इंसाफ मिलेगा।

नैनी सैनी हवाई अड्डे का संचालन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जायेगा

देहरादून(उद संवाददाता)। पिथौरागढ़ स्थित नैनी सैनी हवाई अड्डे का विकास, संचालन एवं प्रबंधन अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में आज सचिवालय में एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विभाग के मुख्य कार्याधिकारी श्री सी. रविशंकर तथा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक्जक्यूटिव डायरेक्टर श्री एन.वी. सुब्बारायडू के मध्य एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया।मुख्यमंत्री ने कहा कि नैनी सैनी एयर पोर्ट के संचालन, रखरखाव, विकास एवं प्रबंधन के लिये पूर्व में उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से अपेक्षा की थी कि एयरपोर्ट को अपग्रेड करने तथा बेहतर प्रबंधन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हैंडओवर कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट

अथॉरिटी व एक्जक्यूटिव डायरेक्टर से नैनी सैनी हवाई अड्डे से विमान सेवा के संचालन में शीघ्रता की अपेक्षा की।

द्वारा प्रस्तावित नये अलाइनमेंट का ओएलएस सर्वे करने की भी एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों से अपेक्षा की।



मुख्यमंत्री ने कहा कि कुमाऊँ की एयर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए पंतनगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट प्रस्तावित है। उन्होंने पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए राज्य सरकार

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूडी, एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑपरेशन हेड श्री समीर सिंह, देहरादून एयरपोर्ट के निदेशक श्री प्रभाकर मिश्रा आदि उपस्थित थे।

हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होगी चौरासी कुटिया

देहरादून। ऋषिकेश के स्वर्गाश्रम स्थित ऐतिहासिक स्थल चौरासी कुटिया को हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए एचसीपी डिजाइन मैनेजमेंट कंपनी मास्टर प्लान तैयार करेगी। तीर्थनगरी में महर्षि महेश योगी की तपस्थली चौरासी कुटिया में दुनिया के प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय बैंड ग्रुप बीटल्स की याद से जुड़ी है। देश दुनिया के पर्यटक चौरासी कुटिया आते हैं, लेकिन अभी यह स्थल पर्यटन के लिहाजा से विकसित नहीं हो पाया है। अब सरकार ने इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। चौरासी कुटिया राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में होने से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से भी अनुमति ली जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुमाऊँ की एयर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए पंतनगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट प्रस्तावित है। उन्होंने पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए राज्य सरकार

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूडी, एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑपरेशन हेड श्री समीर सिंह, देहरादून एयरपोर्ट के निदेशक श्री प्रभाकर मिश्रा आदि उपस्थित थे।

एमएसएमई की नई पॉलिसी में पर्वतीय क्षेत्रों में निवेशकों के लिये बढ़ाई सब्सिडी

देहरादून। प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में निवेश बढ़ाने के लिए धामी सरकार ने नई नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति में पहाड़ों में लगने वाले उद्योगों के लिए मैदानों की तुलना में ज्यादा सब्सिडी दी जाएगी। क्षेत्र के हिसाब से निवेश के लिए नीति में चार श्रेणियां बनाई गई हैं। एमएसएमई नीति में विनिर्माण क्षेत्र के उद्योगों को सब्सिडी का लाभ मिलेगा, जबकि सेवा क्षेत्र को नीति से बाहर किया गया है। नई एमएसएमई नीति में सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में नए उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहित किया है। मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पहाड़ों में उद्योग लगाने में निवेशकों को सब्सिडी का ज्यादा फायदा मिलेगा। इससे पहाड़ों में नए उद्योग लगाने से रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ

ही पलायन पर रोक लगेगी। निवेश के लिए श्रेणियां : ए श्रेणी-पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग व बागेश्वर। बी श्रेणी-अल्मोड़ा व पौड़ी जिले का संपूर्ण क्षेत्र, टिहरी जिले का पर्वतीय भू-भाग का क्षेत्र, नैनीताल जिले के भीमताल, धारी, बेतालघाट, रामगढ़, ओखलकांडा विकासखंड और देहरादून जिले का चकराता विकासखंड।सी श्रेणी-टिहरी जिले का मैदानी क्षेत्र ढालवाला, तपोवन, मुनीकी रेती, फकोट विकास खंड, समुद्र तल से 800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले मैदानी क्षेत्र रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, कालसी, डोईवाला विकास खंड, नैनीताल जिले का कोटाबाग विकासखंड।डी श्रेणी-हरिद्वार व ऊधमसिंह नगर जिले

का संपूर्ण क्षेत्र, समुद्रतल से 800 मीटर से कम ऊंचाई वाले नैनीताल जिले के रामनगर, हल्द्वानी, लालकुआं, कोटाबाग, रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, कालसी, डोईवाला, नगर निगम देहरादून। ए व बी श्रेणी के क्षेत्रों में नए उद्योग लगाने पर स्ट्रांप शुल्क में सौ प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी। जबकि सी श्रेणी में 75 प्रतिशत और डी श्रेणी में 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी। श्रेणीवार उद्योगों को दी जाने वाली सब्सिडी श्रेणी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगएं श्रेणी 50 लाख 1.60 करोड़ 4 करोड़ बी श्रेणी 40 लाख 1.20 करोड़ 3 करोड़ सी श्रेणी 30 लाख 80 लाख 2 करोड़ डी श्रेणी 20 लाख 60 लाख 1.50 करोड़। सूक्ष्म उद्योगों में पूंजी निवेश के लिए एक करोड़, लघु

उद्योगों के लिए 1 से 5 करोड़, मध्यम उद्योगों में 10 से 50 करोड़ निवेश की सीमा निर्धारित की गई। सरकार ने नई नीति में सब्सिडी में बढ़ोतरी की है। जेड प्रमाणीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए नीति में नकद पुरस्कार का प्रावध न किया है। जिसमें गोल्ड प्रमाणीकरण वाले उद्योग को 75 हजार, सिल्वर को 50 हजार और ब्रांज प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाले उद्योग को 25 हजार रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने नई एमएसएमई नीति से सेवा क्षेत्र को बाहर किया है। जिसमें होटल, साहसिक खेल, रोपवे, नर्सिंग होम में निवेश के लिए इस नीति में सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसके लिए सरकार अलग से सेवा क्षेत्र नीति को लागू करने जा रही है।

हाईवे किनारे से हटाया जाएगा अतिक्रमण

नदियों के किनारे वन विभाग की भूमि पर कब्जामुक्त कराई गई 2507 एकड़ भूमि

अधिक भूमि को कब्जामुक्त कराया गया। इसके बाद दूसरे चरण में करीब एक माह पूर्व नदियों के किनारे कार्रवाई शुरू की गई। नोडल अधिकारी मुख्य वन संरक्षक पराग मधुकर धकाते ने बताया कि नदियों के किनारे अभियान में 2507 एकड़ भूमि मुक्त कराया गया। खनन करने वाले मजदूरों की ओर से नदी किनारे ही बस्तियां बना दी जाती हैं। प्रदेश में नदियों के किनारे 30 से 40 प्रतिशत कब्जे हैं। इसके अलावा प्रदेशभर में वन विभाग की 29193 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण होने की पुष्टि हो चुकी है, जिसे मुक्त कराने को कार्रवाई की जा रही है। हाई कोर्ट की

ओर से उत्तराखंड में नेशनल व स्टेट हाईवे सहित अन्य सड़कों के किनारे सरकारी और वन भूमि पर किया गया अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इस क्रम में सभी डीएफओ अपने स्तर पर कार्रवाई में जुट गए हैं। इन नदियों के किनारे चला विशेष अभियान प्रदेश में गौला, खो, सुखरो, शीतला, शारदा, नंधौर, दाबका, कोसी, गंगा, रिस्पना, चोरखाला नाला, स्वर्णाना नदी, आसन के बरसाती नाले, जाखन, मालदेवता, यमुना, टोंस, सहस्त्रधारा, आसन, मालन, कालसी व गंगा की सहायक नदियों के किनारे अतिक्रमण हटाया जाएगा।

सरकार ने घोषित किया सी ग्रेड सेब और नाशपाती का न्यूनतम समर्थन मूल्य

देहरादून(उद संवाददाता)। उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सेब और नाशपाती (गोला) का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। इस बार सरकार ने एमएसपी में एक रुपये की बढ़ोतरी की है। सी ग्रेड सेब का 12 रुपये और नाशपाती की न्यूनतम कीमत सात रुपये

प्रति किलो तय किया है। प्रदेश में 25,785 हेक्टेयर भूमि पर सेब का उत्पादन किया जाता है। प्रतिवर्ष 62 हजार मीट्रिक टन सेब उत्पादित होता है, जबकि 13,234 हेक्टेयर पर 78,115 मीट्रिक टन नाशपाती का उत्पादन किया जाता है। सेब, नाशपाती का सीजन शुरू होने से पहले हर साल सरकार न्यूनतम

समर्थन मूल्य घोषित करती है। अपर सचिव एवं कृषि व उद्यान महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान की ओर से एमएसपी घोषित करने के आदेश जारी किए गए। सी ग्रेड सेब का एमएसपी 11 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये प्रति किलो किया गया। वहीं, नाशपाती का छह रुपये से बढ़ाकर सात रुपये प्रति किलो तय किया गया।

कर्मचारी ने एक ही महीने में लगा डाली पूरे महीने की हाजिरी, फोटो वायरल!

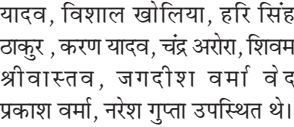
देहरादून। ऊर्जा निगम के कार्मिकों के कारनामे खूब चर्चा में हैं। विद्युत वितरण मंडल ग्रामीण देहरादून में तैनात एक कार्यालय अधीक्षक ने एक दिन में पूरे माह की हाजिरी लगा दी। कार्यालय के उपस्थिति रजिस्टर की फोटो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही है।ऊर्जा निगम के विद्युत वितरण मंडल ग्रामीण देहरादून में तैनात कार्यालय अधीक्षक-प्रथम वर्ष 1992 में नियुक्ति के बाद से यहीं तैनात हैं।बीते दिनों उन्हें विद्युत वितरण मंडल नगरीय में स्थानांतरित किया गया, अपने पुराने कार्यालय से उनका मोह नहीं छूटा। उन्होंने उच्च अधि कारियों से सांठांठ कर अपना स्थानांतरण आदेश रुकवा दिया।इसी के साथ ऊर्जा निगम मुख्यालय ने उक्त कार्मिक को वहीं जमाए रखने के लिए नया आदेश जारी कर दिया। अब उक्त अधिकारी की हाजिरी को लेकर चर्चा हो रही है।विद्युत वितरण मंडल ग्रामीण के कार्यालय के उपस्थिति रजिस्टर की दो फोटो प्रसारित हो रही हैं। एक में सभी कार्मिकों की हाजिरी लगी हुई है, लेकिन उक्त कार्यालय अधीक्षक-प्रथम की एक दिन की भी हाजिरी नहीं है। इसके बाद दूसरे फोटो में माह के अंतिम दिन पूरे महीने की हाजिरी भर दी गई है।



गुमशुदा हुये हैं जबकि इस अवधि में 16 व्यक्ति बरामद तथा 3 व्यक्ति मृत अवस्था में मिले दर्शाये गये हैं। वर्ष 2022 में 8 व्यक्ति ही बरामद हुये हैं। वर्ष 2022-22 में कुल 6 तथा तथा 2023 में 1 महिलाएं गुमशुदा हुई हैं जबकि 6 तथा 1 महिला ही बरामद दर्शायी गयी है। वर्ष 2021-22 में 22 बालक-बालिकाएं गुमशुदा दर्शाये गये हैं जबकि वर्ष 2023 में 6 तथा इस अवधि में 22 तथा 6 बालक- बालिकाएं ही बरामद दर्शाये गये हैं। आई.टी.आई. थाना क्षेत्र से वर्ष 2021 में 3, वर्ष 2022 में 7 तथा 2023 में 4 व्यक्ति (पुरुष) गुमशुदा हुये हैं जबकि इस अवधि में क्रमशः 3, 7, तथा 1 बरामद दर्शाये गये हैं। वर्ष 2021 में 12, वर्ष 2022 में 11 तथा 2023 में 5 महिलायें गुमशुदा दर्शायी गयी हैं जबकि क्रमशः 8, 10 तथा 5 महिलायें बरामद दर्शायी हैं। वर्ष 2021 में 27 तथा 2022 में 26, तथा 2023 में 9 बालक- बालिकाएं गुमशुदा दर्शायी गयी हैं जबकि इस अवधि में क्रमशः 25, 23 तथा 9 बालक-बालिकाएं बरामद दर्शायी गयी हैं।

दुकानदार जिनके पास मीठ बेचने का लाइसेंस है ले जाते हैं और बेचते हैं।

सोमराजक कार्यकर्ता रोहित वर्मा, कृष्णपाल सिंह , बच्चन लाल ,गौतम, शाहनूर अहमद ,निसार अंसारी, सुभाष शर्मा, सौरव वर्मा, विकास कुमार जंग ,बहादुर गोविंद राय, अजय खोलिया, राघव



Shri Shyam Properties
Deals In: Sale, Purchase And Rent Of Any Type Of Property
CONTACT NO.: 7830482222, 7500049657

कार्यवाही की जा सके। उन्होंने गदरपुर बायपास में अण्डर पास तथा सर्विस लेन की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश परियोजना निदेशक एनएचआई को दिये। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हुए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को दिये। बैठक में क्षेत्रीय विधायक अरविन्द पाण्डे तथा दिनेशपुर की चेयरमैन सीमा सरकार, मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्रा, अनादि निरंजन, योगेश पानू, हिमांशु सरकार के अलावा सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

